स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन, एन एच बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ.कोच्ची-682025, केरल, भारत
(फोन- 91-484-2333610-616)
www.indianspices.com

फाइल संख्या: प्रशा./नियुक्ति/1/2020-21/गु.मू.प्र कोच्ची

अधिसूचना संख्या: 04/2026

स्पाइसे बोर्ड, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला(गु.मू.प्र), कोच्ची में रसायन विज्ञान में प्रशिक्षु विश्लेषक के चयन के लिए लिखित परीक्षा।

[केवल अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए]

प्रशिक्षु विश्लेषक रसायन शास्त्र	दो(02) संख्या (भविष्य की आवश्यकता के लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा)
श्रेणी	एससी/एसटी
वजीफा	20,000/-प्रति माह
प्रशिक्षण स्थान	गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची
चयन की विधि	लिखित परीक्षा
आयू	लिखित परीक्षा तिथि को ऊपरी आयू 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रशिक्षण की अवधि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष(एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।)
छुट्टी की पात्रता	प्रति माह एक दिन
योग्यता	आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री या रसायन विज्ञान को मुख्य विषय के रूप में रखते हुए विज्ञान स्नातक की डिग्री या समकक्ष। स्पाइसेस बोर्ड के किसी भी कार्यालय में प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों आवेदन करने के पात्र नहीं हैं, भले ही प्रशिक्षण पूरा हुआ हो या नहीं।
प्रशिक्षण का विषय	मसालों और मसाला उत्पादों के रसायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण।

लिखित परीक्षा का स्थान, दिनांक और समय	स्थान: **गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालत, सुगंध भवन , एन एच बाईपास, पालारिवट्टम, कोच्ची - 682025 , केरल, फोन: 0484-2333610-616** दिनांक: **11.08.2026** समय : **सुबह 10.00 बजे** **(लिखित परीक्षा में बैठने से पहले, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.08.2026 है)**

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:	1. पात्र उम्मीदवार http://spicesboard.in/recruitment/ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट करने वाले या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमती नहीं दी जाएगी। 2. उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले कार्यक्रम स्थन पर पहुंचना होगा। उन्हें सत्यापन हेतु पहचान, आयु और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र, साथ ही प्रत्येक की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट लाना अनिवार्य है। 3. दर्शाए गए प्रशिक्षुओं की संख्या अनंतिम है और चयन के समय इसमें बदलाव हो सकता है। 4. स्पाइसेस बोर्ड में प्रशिक्षू विश्लेषक के रूप में चयन केवल एक प्रशिक्षण है और किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्तियों से जुड़ा नहीं है और किसी भी स्तर पर नियमित नहीं किया जा सकता है। 5. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की वे ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। 6. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है, तो उसकी

	उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि चयन के बाद भी इनमें से कोई भी खामी पाई जाती है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 7. पात्रता, परीक्षा संचालन, विस्तृत परीक्षा और चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। 8. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता का कारण होगा। 9. लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा। 10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com पर अधिसूचना/अवसरों की जांच करें और तृतीय पक्ष वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा न करें।
रैंक सूची की वैधता	प्रशिक्षुओं के लिए रैंक सूची रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब चयन प्रस्ताव में निर्धारित तिथि तक रैंक सूची में शामिल किसी उम्मीदवार के शामिल ना होने के कारण अपेक्षा उत्पन्न हो, या जब कोई उम्मीदवार प्रशिक्षू के रूप में शामिल हो और शामिल होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान मृत्यु या इस्तिफे के कारण प्रशिक्षु पद से अलग हो जाए। रैंक सूची की वैधता परिणामों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक होगी, जब तक की उसी प्रशिक्षण के लिए कोई नई अधिसूचना जारी न की जाए। ऊपर बताई गई अपेक्षाओं को नई अपेक्षा नहीं माना जाएगा और इस अधिसूचना के तहत भरी गई वास्तविक अपेक्षा की संख्या किसी भी परिस्थिति में इस अधिसूचना में बताई गई आवश्यकताओं की संख्या से अधिक नहीं होंगी।

दिनांक : 22 जुलाई

कोेच्ची - 25 **प्रभारी निदेशक (प्रशासन)**